रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4008] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940
No. 4008] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2018

आय-कर

का.आ.5194(अ).—बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 48 की उपधारा (1) उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति जिसने उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील की है, अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्षकथन पेश करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपने विकल्प के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार अपने अधिकारियों में से एक या अधिक को उपस्थान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील के सम्बन्ध में पक्षकथन पेश कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 48 का स्पष्टीकरण उक्त धारा के उद्देश्यों के लिए "प्राधिकृत प्रतिनिधि" पदों को परिभाषित करता है;

और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी कठिनाई उदभूत हुई है कि, उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन,-

(i) प्रारंभिक अधिकारी, व्यक्ति होते हुए उक्त अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील की है, या तो वह स्वयं उपस्थित हो सकेगा या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकेगा, उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) में प्रारंभिक अधिकारी के विनिर्दिष्ट निर्देश की अनुपस्थिति से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता है ; और

(ii) अपील करने वाले व्यक्ति के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध करता है, किन्तु अपील अधिकरण के समक्ष कार्रवाईयों को करने के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का उपबंध नहीं करता है, अपील अधिकरण के समक्ष कार्रवाईयों को करने के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के सम्बन्ध में कठिनाईयों को दूर करने की आवश्यकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) का प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पूर्वोक्त कठिनाईयों को हटाने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 48 में,-

(क) उपधारा (1) में "कोई व्यक्ति जिसने उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील की है" शब्दों के स्थान पर "कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत प्रारंभिक अधिकारी भी हैं, जो उक्त अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष किन्ही कार्रवाईयों का पक्षकार है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में,-

(I) प्रारंभिक भाग में "प्राधिकृत प्रतिनिधि से अपीलार्थी द्वारा इस निमित्त हाजिर होने के लिए लिखित में कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्राधिकृत प्रतिनिधि से –

(i) प्रारंभिक अधिकारी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ii) कार्रवाईयों के किसी अन्य पक्षकार के सम्बन्ध में, से पक्षकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(II) खंड (i) और खंड (ii) में, "अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, के सम्बन्ध में "पक्षकार" शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. 370149/170/2018-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (टीपीएल-II)